



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 36/2026

धर्मराज

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 6 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – पंकज कुमार सिंह, विजय लक्ष्मी सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार सिंह, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विशाल तेहलानी और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाण्डेय को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत- खंडासा, परगना- खंडासा, तहसील- मिल्कीपुर, जिला- फैजाबाद/अयोध्या में स्थित भूमि गाटा संख्या 2512, क्षेत्रफल 0.0470 हेक्टेयर, जो तालाब के रूप में दर्ज है, और गाटा संख्या 992 क्षेत्रफल 0.1780 हेक्टेयर, जो चक मार्ग के रूप में दर्ज है, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. मिल्कीपुर, अयोध्या के उपजिलाधिकारी द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि उपरोक्त गाटा संख्याओं पर अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही संस्थित की जा चुकी है।
4. उपर्युक्त लिखित निर्देश अभिलेख में ग्रहण किये गए हैं।
5. तदनुसार, संबंधित अधिकारियों को उपर्युक्त गाटा संख्या पर अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत संस्थित की गई कार्यवाही को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक पूर्ण करने का निर्देश जारी करते हुए रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated version. Not for legal use.